

प्रेषक,

मण्डलीय तहानक विधा अन्दराक ४ बोरक  
पुथम नण्डन, भे८७।

देवा में,

प्रबन्धक,

दुजाना पुस्तिकृत जूनियर हाई स्कूल  
दुजाना बाबलपुर, गौतमबुधनगर

पत्रांक सं. ५३३९-४५ १९७-९८ दिनांक १९.१.९८

चिक्षणः— जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी पान्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त चिक्षण आपके अन्देन पश्च एवं निरीक्षक वर्ग की आस्था के माधार पर मण्डलीय मान्धता समिति की बैठक दिनांक - १६-१-२९ - - में किये गये किण्ठियुतार राजाज्ञा संख्या ६४६/१५-६-९७-१८ एवं ४७४/८९ शिक्षा ४६४ अनुभाग लखनऊ दिनांक १३ अगस्त १९९७ में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित लक्षिय प्रतिबन्धों के ताथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल ४ क्ला ६ से ८ तक ४ स्तर की नवीन अस्थायी मान्धता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :- विद्यालय की अस्थायी पान्धता तब तक चलती रहेगी जब तक कि अस्थायी मान्धता की इस्तों पूर्ण तर अस्थायी पान्धता की स्थायी पान्धता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती।

२- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिप्रम वेजज ऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

३- विद्यालय में छात्रों के चारत्र अन्वार्षि से तंबांधित एवं राष्ट्रीय सक्ता, राष्ट्र धर्म का सम्मान व सर्वधर्म सम्भाव तथा मनवीय मूल्यों की सम्पूर्ति के किये जारी वर्भिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से इराया जाये।

४- समिति के पंजीकरण का लायनुआर नवीनीकरण कराया जाये।

५- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही रुप्त्वा लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित स्थि में रखा जायेगा। भान रुप्त्वा/ कैपिटेशनकीस के स्थि में नोड भी धनराजि विधार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।

६- मान्धता प्राप्त विद्यालय अपने निकाल/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमात्र पहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद्व के समान आर्हता वाले विकाल शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।

७- जिना वैसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथा कौड़ी तैयारी न तो बन्द किया जायेगा और न खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।

- 8- विद्यालय में शिक्षा का प्राधाम देवनागरी लिपि होगी हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्त्रीय पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 9- विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति और जेंडर का प्रवेश किया जूना अनिवार्य होगा।
- 10- विद्यालय में रास्त प्रशिक्षित अधारण/अधिकारियों की चिह्नित की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- 11- विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
- 12- विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।
- 13- विद्यालय के समस्त स्थानी भाग्यापाल/ भाग्यापिकाओं पर भक्षण निवाहि निधि लीयोजना लागू की जानी चाहिए।
- 14- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और संम्बंध सम्बंध पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेंगा।
- 15- विभागीय आदेशों/ नियमों को अवेहनमा करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16- जिन विद्यालयों के शिक्षा कक्ष छोटे हैं वह १० स्कूलायर फीट के हिसाब से छात्र तंख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप  $20 \times 25$  की माप के कक्षों का नियमानुसार करें।

भारतीय,

६६७

१७.१.९८

सहायक शिक्षा निदेशालू १३ बेसिन  
पृथ्वी प्रदूषण राहिक शिक्षा निदेशक (वैरिक)  
प्रथ्वी प्रदूषण, भैरव

पृ० शि.स./ . ६.

१९७-७८ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा पे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित।

- 1- अपर शिक्षा निदेशालू, १३ बेसिन ३. प्र. डलाहाबाद।
- 2- सचिव, बेसिन शिक्षा परिषद, ३० प्र०, डलाहाबाद।
- 3- डिला बेसिन शिक्षा अधिकारी, — — — — —
- 4- उप बेसिन शिक्षा अधिकारी — — — — —
- 5- शिक्षा अधीकारी/ अधीकारिक नगर एवं गौतमबुद्धनगर
- 6- क्षेत्रीय सहायक बेसिन शिक्षा अधिकारी — — — — —
- 7- संघीज कल्याण अधिकारी — — — — —

सहायक शिक्षा निदेशालू १३ बेसिन  
पृथ्वी प्रदूषण, भैरव।